न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 45/2020
आनलाईन नंबर 2020/00184

निर्णय दिनांक ०२.१.२०२१

1.विश्वराजसिह 2. मनोहरसिंह पुत्रगण भगवतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांव आडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—वादी—

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—
1. जयदीप कुमार शर्मा अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टैट तरफ से

प्रार्थना पत्र ऑडर 9 नियम 13 सी.पी.सी

यह प्रार्थना पत्र विश्वराज सिंह वगैरहा ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवदेन किया है कि अप्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 के तहत माननीय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ के समक्ष दिनांक 30.08.2018 को प्रस्तुत किया गया था यह कि अप्रार्थी ने दावा पेश करने का कारण यह बताया कि प्रतिवादी को दिनांक 05.7.2011, 25.01.2012,29.08.2012, 16.08.2013 को नोटिस देना बताकर रिलायंस मोबाईल कम्पनी के टॉवर व कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाने हेतु बार बार लिखा गया लेकिन बाद गुजरने मियाद भी प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नही की ना ही अवैध टावर हटाया ना ही रूपान्तरण करवाया है। जबकि सही तथ्य यह है किप्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ के समक्ष दिनांक30.04.2012 को कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया तथा अप्रार्थी के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र भी पहुच गया तथा अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि का समपर्णनाम दिनांक 17.04.2012 को प्रस्तुत कर दिया तथा पत्रावली अप्रार्थी के समक्ष कृषि भूमि के रूपान्तरण की प्रकिया चल रही थी ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा यह दर्शाना कि वादीगण को नोटिस दिया गया अपने आप मेंही सदेहास्पद प्रतीत होता है तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक खारीज नही किया गया कृषि भूमि के रूपान्तरण की प्रकिया चल रही थी। यह कि अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय को गुमराह करके धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.08.2018 को प्रस्तुत किया जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने कथन में यह दर्शाया है कि अंतिम नोटिस 16.08.2013 को देना बता रहे है। उसके मुताबिक माननीय न्यायालय के समक्ष 5 साल बाद दिनांक 30.8.2018 को प्रस्तुत किया गया जो धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह दर्शाया हैकि प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया परन्तु बावजुद सम्मन तामिल के कोई उपस्थित नही हुआ जबकि सही स्थिति यह है कि तामिल कुलिंदा अपनी रिपोर्ट में स्वय यह कह रहा है कि विश्वराज व मनोहरसिह घर पर हाजिर नही मिले इससे स्पष्ट है कि तामिल नही हुई ना ही उन्हे सम्मन प्राप्त हुआ । प्रार्थीगण को ऑर्डर 5 जाब्ता दिवानी का सम्मन प्राप्त नही हुआ है इसलिए एकपक्षीय आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि तामिल कुलिदा नेअपनी तफ्तीश दिनांक 27.02.2020 में यह दर्शाया कि विश्वराज सिंह व मनोहर सिंह घर पर नही मिले फिर भी उन्होने उनके मकान पर एक प्रति चस्पा करके तामिल करवा दी गई उपरोक्त तामिल में किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नही करवाये गये। इससे स्पष्ट है कि विश्वराज सिंह व मनोहरसिह कोतामिल नही मानी जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तामिल कुलिंदा ने अपने ऑफिस में बैठकर ही यह झुठी रिपोर्ट तैयार की है। अगर वह मकान पर नोटिस की प्रति चस्पा करता तो निश्चित रूप से किसी न किसी गवाह के हस्ताक्षर अवश्य ही करवाता यह कि माननीय न्यायालय द्वारा फर्द अहकाम दिनांक 28.02.2020 में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया कि प्रतिवादीगण सम्मन तामिल के उपरांत भी उपस्थित नही आये है जबकि प्रतिवादी सं

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

3 विजय कुमार पर तामिल नही हुई तथा पत्रावली तामिल में ही चल रही थी। यह कि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी भूमि रूपान्तरण की पत्रावली हेतु स्वय उपस्थित होते रहे है तथा माननीय न्यायालय को भी इस बात की जानकारी थी कि ग्राम पचायत आडसर की भूमि रूपान्तरण की फाईल मेरे समक्ष विचाराधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यह माननीय न्यायालय द्वारा गलफत में दिनांक 28.02.2020 को निर्णय व डिकी पारित की गई है जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि प्रार्थीगण का जवाब दिया जाना अतिआवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों पर सार्वभूत रूप से विपरीत प्रभाव पडेगा प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित होने से जानबुझकर गुरेंज नही किया है। यह कि एकपक्षीय निर्णय व डिकी के कायम व प्रभाव में रहने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा व अपूर्णिय क्षति होगी तथा विपरीत प्रभाव पडेगा यह कि प्रार्थीगण को वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थाान काश्तकारी अधिनियम 1955 की बिलकुल भी जानकारी नही थी। अगर उसको जानकारी होती तो निश्चित रूप से न्यायालय मे उपस्थित होकर सही तथ्यो से अवगत करवा सकता था तथा माननीय न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित कर निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि रूपानतरण की पत्रावली की नकल माननीय न्यायालय से दिनाकं 13.07.2020 को प्रापत की गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा ही उक्त नकल दी गई तथा प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी भूमि के रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत होते रहे है तथा माननीय न्यायालय को भी उपरोक्त तथ्यो की जानकारी थी। यह कि प्रार्थीगण द्वारा भूमि रूपातरण बाबत समस्त कार्यवाही करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार चालान द्वारा रकम भरवाने हेतु निवेदन किया गया तब उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ के बाबु ने बताया कि आपके द्वारा दिनांक 28.02.2020 को प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश जारी कर दिया गया। तब सर्वप्रथम दिनांक 29.07.2020 को इस निर्णय व डिकी के आदेश की जानकारी प्राप्त हुई । प्रार्थीगण द्वारा तुरन्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल दिनांक 04.08.2020 को प्राप्तकी गई। तब प्रार्थीगण को पूर्ण रूप से एकपक्षीय आदेश व डिकी की जानकारी हुई एकपक्षीय डिकी व आदेश की जानकारी से प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद है धारा 5 मियाद अधिनियम का अलग से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीगण केविरूद्ध एक एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश व एकपक्षीय निर्णय व डिकी दिनांक 28.02.2020 पारित होने का ज्ञान नही रहा प्रार्थीगण की प्रकरण में अहम जवाबदेही व प्रतिरक्षा है। प्रार्थीगण किसान प्रवृति के व्यक्ति है। एकपक्षीय डिकी दिनांक 28.02.2020 के कायम व प्रभाव में रहने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा व अपरिमय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण के अधिकारों का हनन होगा प्राथीगण सदभावी है। यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्य एव परिस्थितियों में प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय डिकी दिनांक 28.02.2020 को अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण को न्यायहित में जवाबदेही व सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाना जरूरी है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय नयायालय के क्षेत्राध्किार व श्रवणधिकार का है तथा निर्णय व डिकी दिनांक 28.02.2020 के इलम व ज्ञान की तिथी से अन्दर मियाद है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आकर मौका रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट पेश की। जो शामिल मिसल रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली संख्या 113/2018 निर्णय दिनांक 28.02.2020 अनुवान स्टेट बनाम विश्वराज सिंह वगैरहा में पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर पत्रावली को पुनः रिकार्ड पर लिया जाकर विचारण करनें के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 02.9.2021 ....को सरे इजलास सुनाय गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) सत्यमेव जयते

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)